



आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/119/2021/एफ.सी./984 दिनांक 20.10.2023 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के दोबाट रांथी हल्का वाहन मार्ग निर्माण में आ रही 5.175 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 10.350 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के दोबाट रांथी हल्का वाहन मार्ग निर्माण में आ रही 5.175 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रिंगू पट्टी बसन्तकोट तहसील मुनस्यारी के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-61 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 112 रकवा 0.003 हे०, 116 रकवा 0.003 हे०, 125 रकवा 0.006 हे०, 126 रकवा 0.114 हे०, 164 रकवा 1.504 हे०, 187 रकवा 0.026 हे०, 199 रकवा 0.612 हे०, 215 रकवा 0.005 हे०, 218 रकवा 0.040 हे०, 234 रकवा 0.011 हे०, 235 रकवा 0.499 हे०, 237 रकवा 0.003 हे०, 245 रकवा 0.277 हे०, 257 रकवा 0.116 हे०, 267 रकवा 1.123 हे०, 268 रकवा 1.097 हे०, 270 रकवा 0.912 हे०, 295 रकवा 0.063 हे०, 296 रकवा 0.016 हे०, 297 रकवा 0.003 हे०, 298 रकवा 0.008 हे०, 300 रकवा 0.019 हे०, 301 रकवा 0.006 हे०, 302 रकवा 0.008 हे०, 303 रकवा 0.096 हे०, 309 रकवा 0.009 हे०, 318 रकवा 0.243 हे०, 319 रकवा 0.704 हे०, 321 रकवा 1.510 हे०, 327 रकवा 0.016 हे०, 328 मध्ये रकवा 1.298 हे० कुल 31 खेतों की 10.350 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, मुनस्यारी स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।
दिनांक मार्च, 30, 2024

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या- 1161 /सात-17 /2023-24

दिनांक मार्च, 30, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी धारचूला/मुनस्यारी।
4. तहसीलदार मुनस्यारी को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अस्कोट पिथौरागढ़।

A.D. (धारचूला) / J.E.T.)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

NO
EN